कार्यालय नगर पालिक निगम,अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ0ग0)

क्रमांक /4.3.88/ स्था. / शि.क. / न.पा.नि. / 2018 अम्बिकापुर दिनांक..01./..02./2018

// आदेश //

छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर, के पत्र क्रमांक 9100 / 8069 / 2017–18 दिनांक 07 / 12 / 2017 के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत शासकीय शालाओं में व्याख्याता (नगरीय निकाय) के रिक्त पदों की पूर्ति व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से की गई है जिसके तहत् नगरीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत व्याख्याता (नगरीय निकाय) की चयनित अभ्यार्थियों की सूची प्राप्त हुई। चयनित अभ्यार्थियों के दस्तावेज परीक्षण कर अंतिम सूची जारी किया गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 26.10.2010 में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (मेयर–इन–काउंसिल) के कामकाज संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998 के नियम 13 के उपनियम 13 (1) (क) के तहत् तथा छ0ग0 शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2013 के अध्याधीन अस्थायी रूप से वेतनमान 5300–150–8300 के न्यूनतम नियमित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महगांई भत्ते पर व्याख्याता (नगरीय निकाय) के पद पर सशर्त नियुक्ति की जाती है।

व्याख्याता (नगरीय निकाय) विषय भौतिक शास्त्र						
क्र.	चयनित अभ्यार्थियों का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	संवर्ग	म. / पु.	पदांकित विद्यालय का नाम
1	आसना किस्पोट्टा	श्री फांसिस किस्पोट्टा	भगवानपुर राघवपुरी अम्बिकापुर	ST Open	महिला	शा.उ.मा.वि. भगवानपुर अम्बिकापुर
2	विकास कुमार	श्री परमेश्वर	सौतार परसवार प्रतापपुर सूरजपुर	ST Open	पुरूष	शा.कन्या.उ.मा. वि.अम्बिकापुर
3	विनीता तिर्की	श्री बेनेदिकी तिर्की	वाड्रफनगर बलरामपुर	ST Female	महिला	शा.उ.मा.वि. पुलिस लाईन
4	उषा संगीता कुजूर	श्री जेवियर कुजूर	झरगांव जशपुर	ST Open	महिला	शा.बहु.उ.मा.वि. अम्बिकापुर
5	उत्तम प्रकाश	श्री अविनाथ	रायकेरा सीतापुर	ST Open	पुरूष	शा.कन्या.उ.मा. वि.अम्बिकापुर

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पद के चयन में शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार छ0ग0 शासन नगरीय निकाय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर से नियुक्ति व्याख्याता (नगरीय निकाय) के वेतन भत्ता का भुगतान किया जावेगा।

[P.T.O.]

Scanned with CamScanner

शर्तें :–

1. 02 वर्ष की परीविक्षा पश्चात् शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी के कार्य तथा आचरण के आधार पर नगर पालिक निगम परिवीक्षा अवधि समाप्त कर सकेगा।
3. छत्तीसगढ़ सीविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 6 (दो) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नगर निकाय सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य नगरीय निकाय की सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में न तो किसी तरह की हड़ताल का सहारा लेगा और न ही किसी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करेगा।
4. नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) दिनांक /02/2018 तक कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक है। उक्त दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नही करने पर नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं प्रतिक्षा सूची के चयनित उम्मीदवारों से भरने हेतु संचालनायल को सूचना दी जायेगी।
5. चयनित अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र कार्य भार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह क भीतर जमा करना होगा। एवं नियुक्त अभ्यर्थी को पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
6. व्याख्याता (नगरीय निकाय) को उपर वर्णित शर्तों से भिन्न, सेवा की अन्य शर्तें संबंधित नियम तथा समय–समय पर लागू हुये छत्तीसगढ़ शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित होंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

पृ.क्रमांक/4389/स्था./शि.क./न.पा.नि./2018 अम्बिकापुर दिनांक 01/02/2018

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त (रा.) सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला–सरगुजा अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. माननीय महापौर,नगर पालिक निगम अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, नगर पालिक निगम अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
10. कार्यालय, अधीक्षक नगर पालिक निगम अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।
11. सर्वसंबंधित श्री/श्रीमती/कु0 .... को आदेशार्थ एवं पालनार्थ। दिनांक .... तक आदेशित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्राचार्य .... के द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर

Scanned with CamScanner

STATE BAR COUNCIL OF CHHATTISGARH

Extension Office: Near Town Hall, Collectorate Road, Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309

Office: High Court Premises
Bilaspur (C.G.) 495 001
Phone: 07752-241309
Fax: 07752-241309

Ref: No. SBC/CG/Enroll. Committ./2019/ Date : 23.12.2019

प्रति,

SHRI DEEPAK VISHWAKARMA, ADV.
S/O/D/O/W/O SHRI RAM ANUGRAH VISHWAKARMA,
HOME GUARD OFFICE, AMBIKAPUR SURGUJA (C.G.)

(वृत्तिक स्थल – अंबिकापुर)

महोदय / महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.12.2019 को आपको स्टेट बार कौसिल की नामांकन समिति द्वारा एडव्होकेट घोषित कर दिया गया है, एवं आपका नाम स्टेट बार कौसिल आफ छ.ग. की अधिवक्ता नामावली पंजी में प्रोविजनल (अनन्तिम) तौर पर अंकित कर लिया गया है एवं आपका नामांकन कमांक **C.G./795/2019/ADV.** ***नामांकन दिनांक 22.12.2019*** *हैं।*

चूंकि आपके द्वारा विधि स्नातक की उपाधि शैक्षणिक सत्र 2009–2010 में अथवा उसके बाद उत्तीर्ण की गई है अतः आपको एडव्होकेट एक्ट की धारा 49 (1) (एएच) के अन्तर्गत बार कौसिल आफ इण्डिया द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रमाण पत्र जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक न तो आप अधिवक्ता गणवेश में बैंड अथवा गाउन पहन सकेंगे और न ही अधिवक्ता के रूप में देश के किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण एवं फोरम आदि के समक्ष विधि व्यवसाय कर सकेंगे ।

बार कौसिल आफ इंडिया द्वारा निर्मित नियम इस पृष्ठ के दूसरे भाग में उल्लेखित है तथा अखिल भारतीय बार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र के संबंध में एवं परीक्षा की तिथि भारतीय विधिज्ञ परिषद, नई दिल्ली से आप अधोलिखित दूरभाष कमांक से प्राप्त कर लेवें ।

उपरोक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आपको विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा । विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आप छत्तीसगढ़ राज्य विधिज्ञ परिषद को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगण रूप से उपस्थित होकर इस आशय का आवेदन दें कि आपने विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र बार कौसिल आफ इंडिया से प्राप्त कर लिया है, इसके साथ ही विधि व्यवसाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें । इसके प्राप्त होने पर छत्तीसगढ राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा आपको आपके नामांकन संबंधी विस्तृत विवरण एवं अन्य दस्तावेज प्रदत्त किये जायेगें ।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु आप बार कौसिल आफ इंडिया से भी निम्न पते एवं वेबसाईट पर संपर्क कर सकते है :–

The Secretary,
Bar Council of India,
21, Rouse Avenue,
Institutional Area
New Delhi+
Telephone No.011-492250000, 32402082,
Telefax : 011-41036283
Email :- Info@ barcouncilofindia. Org
Website: www.barcouncilofindia.org

भवदीय

(अमित कुमार वर्मा)
सचिव
छ.ग.रा.वि. परिषद